न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 25/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 श्रीमति धापुदेवी पत्नी हरजीराम जाति कलबी निवासी आजोदर तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1 जेठाराम पुत्र भगवान जी जाति कलबी निवासी आजोदर तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2 भूमिधारी तहसीलदार, रानीवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री टी0सी0 मेहता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2012 बअनवान धापु देवी बनाम जेठाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 21.04.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा आजोदर के खसरा नम्बर 279 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.86 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 287 रकबा 0.61 हैक्टेयर में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 285 में से खसरा नम्बर 267 तक आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समस्त गवाहों ने इस तथ्य की ताईद की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट की आराजी ग्रेवल सड़क से लगती हुई है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलाण्ट की आराजी से नहर लगती हुई है तथा नहर में जिस समय पानी का बहाव होता है, उस समय आवागमन सम्भव नहीं है। वर्तमान में रास्ता बन्द होने के कारण अपीलाण्ट नहर के रास्ते आवागमन कर रही है, जो सिंचाई विभाग के अधीन है। इस हेतु अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिंचाई विभाग को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से खारिज कर दिया। उक्त भूमि अपीलाण्ट द्वारा मफतसिंह से खरीद की है। विक्रेता भी उक्त भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 285 की भूमि का ही उपयोग करता था। उक्त भूमि के अतिरिक्त अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध ही नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट से भी होती है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन्दर्भित धारा के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विस्तृत जांच एवं विधिवत कार्यवाही करते हुए खारिज किया। अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, जिसे अपीलाण्ट द्वारा बहस में स्वीकार किया है। धारा 251ए के तहत नये रास्ते के मामले में वैकल्पिक मार्ग का सिद्ध होना आवश्यक है, जो सिद्ध नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 285 में से अपीलाण्ट के आवागमन सुचारू करने हेतु रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लाने हेतु तहसीलदार रानीवाडज्ञ को निर्देशित किया,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिस पर तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.03.2013 में यह जाहिर किया कि प्रार्थीया द्वारा जिस रास्ते की मांग की गई है, उस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया के खेत तक जाने हेतु नहीं है। पूर्व में अन्य खेतों में जाने का रास्ता मौजूद हैं, जिसकी चौडाई 4 मीटर है। इसके पश्चात तहसीलदार रानीवाडा द्वारा द्वितीय रिपोर्ट दिनांक 28.06.2013 को प्रस्तुत की, जिसके बिन्दु संख्या 6 में यह अंकित किया कि प्रस्तावित नये रास्ते के आस पास के खसरों के नक्शा ट्रेस की नकलें प्राप्त कर ली है। खसरा नम्बर 272 रकबा 1.97 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नहर, नदियां व नाले (चारागाह हेतु) उपलब्ध है। उक्त पक्की नहर 8–10 फीट चौडी है। इस भूमि की करीबन चौडाई 90 फीट है। इस प्रकार पक्की नहर के आस पास की भूमि में से अन्य खातेदार खसरा नम्बर 281, 282 व अन्य खसरा नम्बरान के खातेदार आते जाते है। इसी भांति प्रार्थीया धापूदेवी भी खसरा नम्बर 282, 86, 287 में आती जाती है। इसी प्रकार मौका फर्द रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 279, 282, 286 व 287 में जाने के लिये मौके पर खसरा नम्बर 272 किस्म गै0मु0 नहर में होते हुए खसरा नम्बर 282 में रास्ता खुला हुआ है। प्रार्थीया के खेत में जाने हेतु नहरी रास्ता खुला हुआ है, मौके पर मौजूद है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग एवं निकटतम एवं लघुतम मार्ग के आज्ञापक सिद्धान्तों पर जांच एवं उस पर टिप्पणी को रेखांकित किया जाना आवश्यक है। डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह साबित होता है कि प्रार्थीया को अपनी भूमि के आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध है, जो मौके पर चालू है। इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पोषणीयता के आधार पर खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी रानी केम्प-बालोतरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बालोतरा

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2012 बअनवान धापु देवी बनाम जेठाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 21.04.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर